प्रभारी ...... सह-जिला दण्डाधिकारी, बोकारो का न्यायालय, बोकारो

अनुसूची - 14 - फारम संख्या - 562

DMO Bokaro (state) Vs S.P. Singh & Shree Bholey Alloys Pvt. Ltd.

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक ता० 20/01/2021 .... से .... तक

जिला Bokaro .... संख्या 43/2020-21 सन् 2021

केस का प्रकार Confiscation case

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
20/01/2021	जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–22/2020, दिनांक–15.12.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर बालीडीह थाना कांड सं0–111/2020 दिनांक–26.06.2020, धारा 379 भा0द0वि0 एवं खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त वाहन सं0–JH09AL-1324 एवं उस पर लदा करीब 20 टन मैंगनीज खनिज के मालिक/ट्रांसपोर्टर श्री एस0पी0सिंह एवं Shree Bholey Alloys Pvt.Ltd के Director, Mr. Rakesh Singh बालीडीह जिला बोकारो के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं मैंगनीज को राजसात की कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। अभिलेख जांचोपरान्त पदा० के आदेशार्थ उनके समक्ष न्यायालय में रखें। 20/01/2021 प्रभारी पदाधिकारी	12/03/21 26/03/21
03/02/2021	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी को सूचना निर्गत करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक - 05/03/2021 को रखें। 03/02/2021	SU/नो0 notice 06/02/2021 8/3/2021 06/02/2021 Bokaro
05/03/2021	विपक्षी की ओर से वकालतनामा के साथ हाजिरी एवं preliminary objection concerning maintainability of the confiscation proceeding दाखिल किया गया है। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं To 12/03/2021 05/03/2021 प्रभारी पदा०	

1	2	3
12/03/2021	विपक्षी की वकालतन हाजिरी हो। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 26/03/2021 [signature] 12/3/2021 प्रभारी पदा०	
26/03/2021	विपक्षी की वकालतन हाजिरी हो। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 13/04/2021 [signature] 26/3/21 प्रभारी पदा०	
13/04/2021	विपक्षी की वकालतन हाजिरी हो। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 11/05/2021 प्रभारी पदा०	
11/05/2021	विपक्षी अनुपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 22/06/2021 प्रभारी पदा०	
22/06/2021	विपक्षी अनुपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 23/07/2021 [signature] 22/6/2021 प्रभारी पदा०	
23/07/2021	विपक्षी अनुपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 24/08/2021 [signature] प्रभारी पदा०	
24/08/2021	विपक्षी अनुपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 28/09/2021 [signature] 24/8/21 प्रभारी पदा०	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
28/09/2021	विपक्षी अनुपस्थित। पुनः विपक्षी की वकालतनामा दाखिल है। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त है। To 16/11/2021 28/9/21 प्रभारी पदा०	
16/11/2021	विपक्षी अनुपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त है। To 17/12/2021 16/11/21 प्रभारी पदा०	
17/12/2021	विपक्षी की वकालतनामा दाखिल है। उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया है। Put up on 07/01/2022	
07/01/2022	विपक्षी की वकालतनामा दाखिल है। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त है। To 08/02/2022 7/1/22 प्रभारी पदा०	
08/02/2022	जिला खनन पदा०, बोकारो के पत्रांक-94 दिनांक-12/01/2022 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रांची के WP (Cr.) No. 77 of 2021 में दिनांक-27/09/2021 को पारित आदेश की प्रति उपलब्ध कराया गया है। विपक्षी अनुपस्थित। विद्वान सहायक लोक अभियोजक, बोकारो को सुना गया। विपक्षी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन शीघ्र करने का अन्तिम	

1	2	3
	अवसर प्रदान किया जाता है उक्त आदेश का अनुपालन कर विपक्षी अपना पक्ष अगली निर्धारित तिथि 15/02/2022 को निश्चित रूप से रखें। [signature]	
15/02/2022	विपक्षी की ओर से वकालतनामा अर्जी के साथ समय आवेदन दाखिल किया गया है। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं To 11/03/2022 [signature] प्रभारी पदा०	
11/03/2022	विपक्षी की ओर से वकालतनामा अर्जी के साथ petition for permission to deposit cost of 20 tonne of Minerals (Manganese Ore) दाखिल किया गया है। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं To 08/04/2022 [signature] 11/03 प्रभारी पदा०	
08/04/2022	विपक्षी की ओर से वकालतनामा अर्जी है। इनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को अगली निर्धारित तिथि को उपस्थित होने का निदेश दें। अभिलेख दिनांक- 29/04/2022 को रखें। [signature]	108 निम्न 09/04/2022 DMO. Bokaro.
29/04/2022	विपक्षी अनुपस्थित। Put up on 07/06/2022 [signature]	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
07/06/2022	विपक्षी अनुपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं। T० 05/07/2022 प्रभारी पदा०	
05/07/2022	विपक्षी की ओर से वकालतनामा दाखिल है। उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। दिनांक 11/03/2022 को विपक्षी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के W.P.(Cr.) No.-77 of 2021 के आलोक में दाखिल आवेदन पत्र पर जिला खनन पदा०, बोकारो से प्रतिवेदन की माँग करें। अग्रिम तिथि दिनांक- 02/08/2022 को रखें।	159/खनन 06/07/2022 DMO, Bokaro
02/08/2022	जिला खनन पदा०, बोकारो के पत्रांक- 1483/खनन दिनांक- 25/07/2022 से प्रतिवेदन प्राप्त है। विपक्षी की वकालतनामा दाखिल है। विद्वान अधिवक्ता एवं जिला खनन पदा० बोकारो को सुना गया। विपक्षी को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची के W.P.(Cr.) No. 77 of 2021 में पारित आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत मैंगनीज धातु का भुगतान उचित शीर्ष में जमा करने हेतु जिला खनन पदा०, बोकारो से सम्पर्क करें। Put up on 23/08/2022	Seen [illegible] 05/08/2022

1	2	3
23/08/2022	विपक्षी अनुपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त हैं। To 16/09/2022 प्रभारी पदा०	
16/09/2022	विपक्षी अनुपस्थित। पीठासीन पदा० अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। To 18/10/2022 प्रभारी पदा०	
18/10/2022	विपक्षी की ओर से वकालतनामा अर्जी के साथ petition for direction to release 20 tonne of Minerals (Manganese ore) दाखिल किया गया है। पीठासीन पदा० अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। To 01/11/2022 प्रभारी पदा०	
01/11/2022	विपक्षी की ओर से वकालतनामा अर्जी है। पीठासीन पदा० अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। To 29/11/2022 प्रभारी पदा०	
29/11/2022	विपक्षी की ओर से वकालतनामा अर्जी है। पीठासीन पदा० अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। To 02/12/2022 प्रभारी पदा०	

C.C. issued Vide No.170 Dated [illegible]

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी के हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
02/12/2022	विपक्षी की ओर से वकालतनामा दाखिल है। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त है। To 30/12/2022 प्रभारी पदा०	
30/12/2022	विपक्षी की ओर से वकालतनामा दाखिल है। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त है। To 20/01/2023 30/12/22 प्रभारी पदा०	
20/01/2023	विपक्षी की वकालतनामा दाखिल है। पीठासीन पदा० अन्य कार्य में व्यस्त है। To 07/02/2023 20/01/2023 प्रभारी पदा०	
07/02/2023	विपक्षी अनुपस्थित। Put up on 28/02/2023	
28/02/2023	विपक्षी की ओर से वकालतनामा दाखिल है। इनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। Put up on order.	

1	2	
02/03/2023	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–22/2020, दिनांक–15.12.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर बालीडीह थाना कांड सं0–111/2020, दिनांक–26.06.2020, धारा–379 भा0द0वि0 एवं खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त वाहन सं0–JH09AL-1324 एवं उस पर लदा करीब 20 टन मैंगनीज खनिज के मालिक/ट्रांसपोर्टर श्री एस0पी0सिंह एव Shree Bholey Alloys Pvt.Ltd के Director, Mr. Rakesh Singh बालीडीह जिला बोकारो के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं मैंगनीज के राज्यसात की कार्यवाही (यह वाद) अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में चल रही है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा कहा गया कि जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से दायर इस वाद को लेकर विपक्षी के द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P.(Cr.) N0. 77 of 2021 दायर किया गया, जिसमें मान्नीय उच्च न्यायालय, दिनांक–27.09.2021 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया– *"13. ....In view of Rules 54(5) of the Jharkhand Minor Mineral Concession Amendment Rules, 2017, by way of interim order, the following orders are being passed:-* *(i) The petitioner shall deposit the double amount of the cost of the minerals before the Deputy Commissioner, Bokaro.* *(ii) If the amount in question shall be deposited for the release of the said minerals, the said*	

minerals shall be released forthwith without

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित
	prejudice to the right and contention of the petitioner, subject to the final result of the criminal proceedings. *14. So far as the release of the vehicle is concerned, the same shall be released in favour of the petitioner on his undertaking on the following terms and conditions:-* *(i) The petitioner shall furnish an indemnity bond to the satisfaction of the court below.* *(ii) One of the surety must be a resident and owner of a commercial vehicle of District Bokaro (Jharkhand).* *(iii) That the petitioner shall not sale, mortgage or transfer the ownership of the vehicle on hire purchase agreement or mortgage or in any manner.* *(iv) He shall not change or tamper with the identification of the vehicle in any manner.* *(v) He shall produce the vehicle as and when directed by the Trial Court or before the confiscating authority.* *15. The aforesaid conditions are the subject to the final result of the confiscation proceeding and the criminal proceedings.* *16. With the aforesaid observations and directions, this writ petition is allowed and disposed of."* मान्नीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी के द्वारा 20 टन मैंगनीज खनिज का दोगुनी राशि रूपये 1,63,000.00 (एक लाख तिरेसठ हजार) मात्र ई–चालान GRN:-2213250340 दिनांक–02.09.2022 के माध्यम से BKRNMI001-DIST. MINING OFFICER, MINING OFFICE, Department of Industries, Mining & Geology के पक्ष में जमा करते हुए चालान की प्रति दाखिल किया गया है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी सहित
	उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अंतरिम आदेश पारित करते हुए बालीडीह थाना कांड सं0–111/2020, दिनांक–26.06.2020 के अन्तर्गत जप्त 20 टन मैंगनीज अयस्क को विमुक्त किया जाता है। तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें। वाद की अगली सुनवाई दिनांक–28.03.2023 को निर्धारित की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 02.03.2023 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो। 02.3.2023 उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	
28/03/2023	विपक्षी की ओर से वकालतनामा दाखिल की गई है। पीठासीन पदा0 अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। To 21/04/2023 प्रभारी पदा0	
21/04/2023	विपक्षी अनुपस्थित। Put up on 09/05/2023	
09/05/2023	विपक्षी की वकालतनामा दाखिल है एवं सूची के अनुसार कागजात दाखिल किया गया है। पुनः petition for information दाखिल किया गया है। विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं दाखिल कागजातों का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के W.P.(C.) No.-77 of 2021 में पारित आदेश के	

अनुसूची 14–फारम सं0 560

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अनुपालन में विपक्षी के द्वारा Trial Court में indemnity bond दाखिल किया गया, जिसे Trial Court के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। उक्त के आलोक में बालीडीह थाना के द्वारा प्रश्नगत वाहन सं0 – JH09AL-1324 को विपक्षी के पक्ष में विमुक्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) 09.5.23 उपायुक्त-सह जिला दण्डाधिकारी बोकारो (हस्ताक्षर) 09.5.23 उपायुक्त-सह-जिला दण्डा0 बोकारो।	

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.04.22 11:38:14 +05:30
Location: 192.168.1.101